न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मु.सं. 80 / 2024 / प्रार्थना पत्र 6(ए)

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर

– प्रार्थी

बनाम

कुंभाराम पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम फागलवा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थी

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक– 31.07.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, धोद जिला सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर के आदेश दिनांक 17.09.2024 के संदर्भ में दिये गये निर्देश की पालना में पंचायत समिति धोद में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरुपयोग की बालाजी मिष्ठान भंडार, फागलवा, धोद में जांच की गई, जिसमें मौके पर होटल के संचालक श्री कुंभाराम उपस्थित मिले, जिनकी उपस्थिति में जांच करने पर निम्न तथ्य पाये– होटल परिसर में चाय, नाश्ता, खाना बनाने के लिये भारत गैस के 04 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा होटल में उपयोग में लिये जा रहे थे। मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री कुंभाराम से इनके कागजात के संबंध में पूछताछ की गई जिसमें इनके द्वारा कनेक्शन संबंधी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) के दुरूपयोग के संबंध में पूछताछ करने पर मौके पर उपस्थित होटल संचालक श्री कुंभाराम द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया जिस पर धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त कुल 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर कब्जे में लिया गया। मौके पर जब्त गैस सिलेण्डर 04 सुपुर्दगी में विकम गैस एजेन्सी, सीकर के मैनेजर श्री वसीम खान को सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर फर्द चैकिंग, फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया। जब्त 04 गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक / मार्का	सील / अनसील्ड सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा में	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार / टेयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्व गैस का भार किग्रा में	वि वि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	536951T	सील भारत गैस	14.2	15.8	16.00	0.2	–
2	214009T	सील भारत गैस	14.2	15.8	16.00	0.5	–
3	843135B	सील भारत गैस	14.2	15.8	25.00	9.2	–
4	297289S	सील भारत गैस	14.2	[illegible]	15.70	0	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

द्रवित गैस ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका निस्तारण धारा 6ए(2) ईसी एक्ट के तहत शीघ्र निस्तारण किये जाने के आदेश फरमावें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर विस्तृत जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "दिनांक 17.09.2024 को प्रार्थी/जवाबदाता की बालाजी रेस्टोरेन्ट/दुकान ग्राम फागलवा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर पर घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 536951टी मेरी दुकान पर खाली पड़ा हुआ था, जो कि प्रार्थी/जवबदाता का पड़ौसी दुकान पर आने वाली गैस एजेन्सी की गाड़ी से भरवाने के इन्तजार में रखकर गया हुआ था। घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 214009टी मेरी दुकान पर खाली पड़ा हुआ था, जो कि प्रार्थी/जवाबदाता का पड़ौसी दुकान पर आने वाली गैस एजेन्सी की गाड़ी से भरवाने के इन्तजार में रखकर गया हुआ था। घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 297289एस मेरी दुकान पर खाली पड़ा हुआ था जो कि प्रार्थी/जवाबदाता का पड़ौसी दुकान पर आने वाली गैस एजेन्सी की गाड़ी से भरवाने के इन्तजार में रखकर गया हुआ था। घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 843135बी प्रार्थी/जवाबदाता के स्वयं के घर का गैस सिलेण्डर था, जिसमें 9 कि.ग्रा. से ज्यादा गैस थी उक्त सिलेण्डर इमरजेन्सी में प्रार्थी/जवाबदाता की दुकान का व्यवसायिक गैस सिलेण्डर खत्म हो जाने तथा प्रार्थी/जवाबदाता की दुकान पर रिश्तेदार आ गये थे उनको चाय पिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए उक्त सिलेण्डर प्रार्थी/जवाबदाता अपने घर से लेकर आया था, जिस कारण से उक्त सिलेण्डर दुकान पर पाया गया। जबकि प्राथी/जवाबदाता अपनी दुकान/रेस्टोरेन्ट पर चाय/नाश्ता बनाने के लिए हमेशा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करता है, जो प्रार्थी/जवाबदाता के पार्टनर सुरेश कुमार के नाम एस.वी. क्रमांक 507864367 का वाणिज्यिक सिलेण्डर लिया हुआ है। गैस ऐजेन्सी की गाड़ी प्रार्थी/जवाबदाता की रेस्टोरेन्ट पर आती है, जिस कारण खाली घरेलू सिलेण्डर भरवाने के लिए पड़ौसी रखकर जाते रहते है। प्रार्थी/जवाबदाता की रेस्टोरेन्ट दुकान पर मेरे द्वारा केवल अघरेलू, वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता रहा है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 06 (ए) के तहत की गयी कार्यवाही को निरस्त किया जावें।"

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होने पर प्रतीत होता है कि जवाबदाता के उक्त होटल पर निजी उपयोग हेतु तीनों सिलेण्डरों को रखा गया था। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जब्तशुदा सिलेण्डरों को कुंभाराम पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम फागलवा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर को वापिस नियमानुसार लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला-सीकर (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:57 IST
Reason: SelfAttested